

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्रांक :- 9/उपा0कीट0अनु0-23/2011

4624 कृ०, पटना, दिनांक 16 सितम्बर, 2015

प्रेषक,

बी० कार्तिकेय, भा० प्र० से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री संजय कुमार चौधरी,
मे० ऑरटेक्ट ऑरगेनिक्स,
ए०-38, इन्डस्ट्रीयल एरिया,
बेला, मुजफ्फरपुर।

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 16 दिनांक 07.10.2009 का नवीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य अभिलेखों तथा सहायक निदेशक (पौ० सं०) मुजफ्फरपुर से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में स्वनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों से संबंधित बिक्री/भण्डारण अनुज्ञप्ति संख्या 16 दिनांक 07.01.2009 का नवीकरण उनके प्रिंसिपल सर्टिफिकेट एवं विनिर्माण अनुज्ञप्ति की वैधता तिथि के आधार पर दिनांक 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्रमांक	कीटनाशी का नाम
1	Methyl Parathion 2% DP
2	Malathion 5% DP
3	Phorate 10%CG
4	Cypermethrin 25%EC
5	2, 4D Sodium Salt 80% WP
6	Fenvalerate 0.4% DP
7	Carbofuran 3% CG
8	Butachlor 5% EC
9	Dimethoate 30% EC

2- उपर्युक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा :- मे० ऑरटेक्ट ऑरगेनिक्स, ए०-38, इन्डस्ट्रीयल एरिया, बेला, मुजफ्फरपुर।

3- यह आदेश दिया जाता है 0कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4- अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6- अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7- अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेंट/विक्रय प्रतिनिधि एवं विक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

8- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 16 दिनांक 07.10.2009 मूल रूप में संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह0 / -

(बी0 कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4624

/कृ0, पटना, दिनांक 16 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई0 टी0 मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

(4)
22-9-2015